भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1323
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गुजरात में पीएमजीएसवाई

1323. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु गुजरात को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु क्या मानदंड हैं ?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए गुजरात को जारी केंद्रीय निधियों तथा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(रु करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय अंश	व्यय (राज्य अंश सहित)
2021-22	195.50	400.16
2022-23	266.625	492.19
2023-24	298.41	330.33

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-I) के अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सड़कों को मैदानी क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या और राज्य के विशेष क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत सड़कों को लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में पात्र ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समग्र दक्षता में सुधार और इसे उन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ने वाले प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़क विनिर्देशों में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी:एसपी: 20) और जहां आवश्यक हो, पहाड़ी क्षेत्र सड़क नियमावली (आईआरसी:एसपी: 48) और अन्य प्रासंगिक आईआरसी कोड और नियमावली के अनुसार किया जाता है।

******